nt>

Title: Need to increase the percentage of reservation for SCs and STs in proportion to their population and include nomadic tribes in the category of SCs and STs- Laid.

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) :अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए जिस समय आरक्षण का प्रावधान किया गया था तो उस समय इस समुदाय की आबादी क्रमशः 15 एवं साढ़े सात प्रतिशत थी। लेकिन अब इस समुदाय की आबादी क्रमशः 18 एवं 10 प्रतिशत हो गयी है। चूंकि आरक्षण के पश्चात अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सूची में बड़ी संख्या में दूसरी जातियों को भी सम्मिलित किया गया है, यह भी इस समुदाय की आबादी में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। इसलिए आबादी के अनुरूप अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण में साढ़े पांच प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए।

घुमन्तु समुदाय को पिछड़ी जाति में रखने से कोई फायदा नहीं मिलता है। घुमन्तु समुदाय की आबादी लगभग 10 प्रतिशत के आसपास है। इसलिए घुमन्तु समुदाय के लिए अलग से तीसरी सूची बनाकर इसको अनुसूचित जाति/जानजाति की सूची में सम्मिलित किया जाये और अनुसूचित जाति/जनजाति को मिलने वाले आरक्षण के अलावा घुमन्तु समुदाय के लिए अलग से 10 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाये।

गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रत्येक परिवार को कम से कम पांच एकड़ भूमि सरकार को अपनी तरफ से खरीदकर आबंटित करनी चाहिए या फिर केन्द्र सरकार ऐसी कोई योजना बनाये, जिसमें पांच एकड़ भूमि आबंटित किए जाने में आधार ऋण बिना किसी बयाज के तथा आधा अनुदान केन्द्र सरकार की ओर से दिया जाये।

MR. SPEAKER: So far as today's further business in the House is concerned, the Leader of Opposition as well as hon. Vajpayeeji made a request for adjournment of the House. Keeping their request in view, not on any other issue, I am adjourning the House till 11 a.m. tomorrow. But let it be recorded that this will not be taken as a precedent in future.

14.05 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Thursday, December 16, 2004/Agrahayana 25, 1926 (Saka).

____